Tamil Nadu Chief Minister's Statement on Language Issue

*275. DR. SUSHILA NAYAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have seen the statement made by the Chief Minister of Timil Nadu in the State Legislative Assembly on the 20th March, 1969 that the Centre should deal with the language problem with caution and tact in order to prevent recurrence of anti-Hindi agitation which might lead to damage of public property ;

(b) whether, any representation has also been made to the Central Government by that State Government to go slow with Hindi policy ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

इण्डियन नैशनल चर्च

*276. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने "आर्डीनेशन फार कालोनीज एक्ट, 1819", कालोनियल विशिप्स एक्ट, 1852 तथा 1853, "कालोनियल कलर्जी एक्ट, 1874" तथा "इण्डियन चर्च एक्ट एण्ड मैजर, 1927" जैसे कुछ ब्रिटिश चर्च सम्बन्धी कानून बनाये ताकि भारत के क्रिश्चियन चर्च को ब्रिटिश चर्च के आधीन रखा जा सके ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "इण्डियन चर्च एक्ट एण्ड मैजर 1927" की धारा 4 के अन्तर्गत कलकत्ता के एंसलीकन बिशप को भारतीय चर्च पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है, और वह "ब्रिटिश कालोनियल विशप्स एक्ट, 1852-53" "तथा कालोनियल क्लर्जी एक्ट 1874" के अन्तर्गत अपना कार्य करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि "इण्डियन नेशनल चर्च" ने यह आवाज उठाई है कि उसे प्रोत्साहन दिया जाये और उसे विदेशी प्रभुत्व तथा धन से स्वतन्त्र बनाया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : इंडियन चर्च एक्ट, 1927 को ब्रिटिश परिनियम (भारत में लागू) निरसन अधिनियम, 1960 द्वारा रद्द कर दिया गया था ।

"आर्डिनेशन फार कालोनीज एक्ट, 1819" में इंगलैंड के बिशपों द्वारा प्रीस्ट तथा डीकन के अभिषेक के लिए व्यवस्था थी ।

"कालोनियल बिशप्स एक्ट्स, 1852-53" का उद्देश्य विशेषकर इंग्लैंड, आयलैंड इत्यादि के बिशपों की ओर से कुछ धर्माध्यक्षीय कार्य करने के लिए औपनिवेशक तथा अन्य विषपों को अधिकार देने के लिए समर्थ करना था ।

'कालोनियल क्लर्जी एक्ट, 1874" इंग्लैंड में धर्माध्यक्षीय कार्यों को करने के लिए औपनिवेशिक तथा कुछ अन्य पुरोहितवर्ग (क्लर्जी) की की सक्षमता से संबंध रखता है ।

"इण्डियन चर्च मैजर, 1927" में यूनियन जो तब चर्च आफ इंग्लैंड और भारत में चर्च आफ इंग्लैंड के बीच कानूनी तौर पर विद्यमान थी, के पृथक्करण के लिए विशेष रूप से व्यवस्था थी ।

इन अधिनियमों में भारत के चर्च को इंग्लैंड के चर्च के नियंत्रण अधीन रखने का प्रभाव नहीं है और न इस देश में उनकी कानूनी मान्यता ही है ।